तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज
	6/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/[illegible]/20 को पेश हो।
	16/12 पत्रावली पेश हुई। [illegible] साथ में आज अदालती कार्य [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/1/21 को पेश हो।
	25/1 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/3/21 को पेश हो।
10/3/2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची के साथ सहखातेदार बाबुलाल व महेशकुमार का शपथपत्र व दस्तावेज पेश किये। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 15/3/2021 को पेश हो।
15/3/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम प्रकाश पुत्र सुवालाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन गलत नाम कैलाशचन्द पुत्र सुवालाल दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र सुवालाल है, एवं बतौर साक्ष्य सहखातेदारान बाबूलाल पुत्र सुवालाल व महेश कुमार पुत्र सुवालाल के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejes
Date: 2021.03.29 17:58:0
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सहखातेदारान बाबूलाल पुत्र सुवालाल व महेश कुमार पुत्र सुवालाल के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कैलाशचन्द पुत्र सुवालाल अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम प्रकाश पुत्र सुवालाल है की पुष्टि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं साक्ष्य सहखातेदारान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का रायपुर पाटन तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 229 व 237 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **कैलाशचन्द पुत्र सुवालाल** के स्थान पर **प्रकाश पुत्र सुवालाल** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:58:05 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)